न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

प्रार्थना अवमानना संख्या 46/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/178)

1. जगदीश प्रसाद पुत्र स्वर्गीय बालासहाय, जाति महाजन, निवासी हरनेर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

– अपीलान्ट/प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश चन्द नेहरा, तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर।
2. मनीष कुमार सैनी, पटवारी हल्का भागडोली, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 कन्टेम्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील प्रार्थी।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक –20.12.2024

1. यह अवमानना प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा की अपील संख्या 01/2015 उनवान जगदीश प्रसाद बनाम ओमप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021 की पालना तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर द्वारा नही की जाने के सम्बन्ध में पेश किया गया है।
2. अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
3. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अवमानना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि न्यायालय हाजा में अपील संख्या 1/2015 उनवान जगदीश प्रसाद बनाम ओमप्रकाश वगैरहा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, द्वितीय अलवर के निर्णय दिनांक 26.12.2014 के विरूद्ध विचाराधीन थी। उपरोक्त अपील संख्या 1/2015 का निर्णय दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के पश्चात् न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.03.2021 को पारित किया गया। जिसके तहत् अपीलान्ट जगदीश प्रसाद की अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर का निर्णय दिनांक 26.12.2014 एवं न्यायालय तहसीलदार, थानागाजी, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2005 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। साथ ही मुताबिक वसीयत अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के आदेश भी दिये गये।

   मिन प्रार्थी द्वारा श्रीमान के निर्णय दिनांक 30.03.2021 की पालना कराने हेतु विचारण न्यायालय तहसीलदार, थानागाजी के न्यायालय ने पत्रावली पहुँचने के पश्चात् एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 30.03.2021 की पालना में मिन अपीलान्ट के हक में मृतक बालासहाय के विरासत का इन्तकाल मुताबिक वसीयत आराजी खसरा नं0 128 रकबा 1.76 हैक्टेयर व खसरा नं0 129 रकबा 1.91 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 3.67 है0 वाके ग्राम अमरा का बास, तहसील थानागाजी का दर्ज व तस्दीक किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर आज तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया तथा बार–बार निवेदन करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रार्थी परेशान होकर पुनः एक अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 31.03.2022 को अप्रार्थीगण तहसीलदार, थानागाजी के समक्ष मय नकल प्रस्तुत किया। जिस प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि पत्रावली देखने के पश्चात् आदेश कर देगे। परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर भी काफी निवेदन के बाद कोई आदेश पारित नही किया और मिन प्रार्थी को तंग व परेशान किया जा रहा है। साथ ही साथ श्रीमान के निर्णय की अवहेलना की जा रही है। मिन प्रार्थी द्वारा तहसीलदार जी को काफी निवेदन करने के उपरान्त बताया गया की मिन प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र मिल नहीं रहे है। इसलिये नये सिरे से प्रार्थना पत्र निर्णय की प्रति लगाकर पेश करे। प्रार्थी ने पुनः नये सिरे से अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष दिनांक 30.06.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस प्रार्थना पत्र को लेने के उपरान्त कोई आदेश पारित नहीं किया और कहा कि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

रिकार्ड व निर्णय को देखकर आदेश कर देगे। मिन प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी नं० 1 के न्यायालय में बार–बार चक्कर लगाने के उपरान्त आखिरकार तहसीलदार साहब (अप्रार्थी नं० 1) द्वारा मिन प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 28.12.2021 को आदेश दिये कि "एलआर श्रीमान सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय की पालना में वसीयतनामें में दर्ज वसीयत ग्रहिता के वारिसान का नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज किये जाने हेतु सम्बन्धित पटवारी को लिखा जावे।" तहसीलदार साहब (अप्रार्थी नं० 1) के आदेश की पालना में कार्यालय तहसीलदार भू–अभिलेख थानागाजी, जिला अलवर द्वारा एक आदेश जरिये पत्र क्रमांक भू–अभिलेख/न्यायालय/2022/8910 दिनांक 14.12.2022 को पटवारी हल्का भागडोली, तहसील थानागाजी, को जारी किया। जिसमें स्पष्ट अंकित किया गया कि मुताबिक निर्णय उक्त खसरा नं0 128 रकबा 1.76 एवं 129 रकबा 1.91 किता 2 रकबा 3.67 वाके ग्राम अमरा का बास को बालासहाय पुत्र पन्नालाल जाति वैश्य के बजाय जगदीश प्रसाद पुत्र स्वर्गीय बालासहाय जाति महाजन निवासी हरनेर तहसील थानागाजी के नाम नामान्तकरण दर्ज कर नियमानुसार निर्णय करावे।

तहसीलदार थानागाजी के स्पष्ट आदेश दिनांक 14.12.2022 के बावजूद भी पटवारी हल्का भागडोली द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई और अप्रार्थी संख्या 2 से मिन प्रार्थी इकाई करने व न्यायालय हाजा के आदेश एवं तहसीलदार साहब के आदेश दिनांक 14.12.2022 की पालना करने को कहा तो पटवारी हल्का नाराज हो गये और कहने लगे कि ऐसे आदेश एवं निर्णय रोजाना आते है। उनसे कोई फर्क नही पडता है। ऐसे आदेशों की मैं कतई परवाह नहीं करता हूँ तेरे जचे जो कार्यवाही कर ले। मिन प्रार्थी हताश होकर पुनः तहसीलदार साहब अप्रार्थी संख्या 1 से मिला व पटवारी हल्का की सारी बाते बताई तो उन्होनें भी असमर्थता जाहिर कर दी और कहा कि अब मैं भी इसके अलावा कुछ नही कर सकता। आपको जो करना है वो करें। मिन प्रार्थी काफी परेशान हो गया है, तब मिन प्रार्थी जिला कलेक्टर, अलवर से जाकर प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2023 के साथ मिला तो माननीय जिलाधीश महोदय ने उपखण्ड अधिकारी थानागाजी को मिन प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की समस्त बाते सुनकर कार्यवाही करने के लिए आदेश दिये लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही हुई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.03.2021 की पालना सुनिश्चित कराने के आदेश अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रदान किये जावे साथ ही श्रीमान के निर्णय की पालना नही किये जाने कि जो अवहेलना अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने की है उसकी नियमानुसार सजा दिलाई जावे। आपकी अति कृपा होगी।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.03.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2014 एवं तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2005 को निरस्त कर मुताबिक वसीयत अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश के विरूद्व या तो अपर न्यायालयों में अपील/रिविजन प्रस्तुत की जानी चाहिए थी अथवा निर्णय की पालना की जानी थी। किन्तु प्रकरण में अपील/नो अपील बाबत निर्णय हुआ है अथवा नहीं ? पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार ज्ञात नहीं हो रहा है। अतः तहसीलदार थानागाजी को निर्देशित किया जाता है कि अपील/नो अपील बाबत निर्णय यथाशीघ्र करवाया जाकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर अलवर को प्रर्यवेक्षणार्थ प्रेषित की जावे तथा उक्तानुसार कार्यवाही कर निर्णय की पालना करवायी जावे।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 20.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर